दैनिक भास्कर
ग्वालियर 05-09-2022

पीड़ित बच्चों से पुलिसकर्मी वैसा ही व्यवहार करें जैसा अपने बच्चों से करते हैं: जस्टिस आर्या

किशोर न्याय एवं पॉक्सो अधिनियम पर हुई कार्यशाला

ग्वालियर| पुलिस अधिकारियों को बाल पीड़ितों से अपने बच्चों की तरह व्यवहार करना चाहिए। पीड़ित के प्रति संवेदनशील नजरिया रखकर हम सही मायने में न्याय दिला सकते हैं। ये बात उच्च न्यायालय खंडपीठ, ग्वालियर के प्रशासनिक न्यायाधिपति जस्टिस रोहित आर्या ने कही। वे रविवार को किशोर न्याय एवं लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम पर आयोजित संभाग स्तरीय संयुक्त प्रशिक्षण कार्यशाला में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ कानून का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। प्रकरणों के तथ्यों की विस्तृत जानकारी रखना भी महत्वपूर्ण हैं। बाल अपराधों की विवेचना से जुड़े अधिकारियों को अपराध के त्वरित कारणों को लेखबद्ध करना चाहिए। साथ ही पीड़ित की सामाजिक स्थिति और अभियुक्त के साथ पीड़ित के पूर्व संबंधों की जानकारी भी जुटानी चाहिए।

जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने पुलिस व लोक अभियोजन अधिकारियों से कहा कि किशोरों व बच्चों को कल के भविष्य के रूप में देखें। जब हम बच्चों

कार्यशाला का शुभारंभ करते अतिथि।

की मनःस्थिति को समझकर उनमें सकारात्मक सोच विकसित करेंगे, तभी देश के कल के भविष्य को संवार पाएंगे। संचालक लोक अभियोजन अन्वेष मंगलम ने कहा कि पुलिस, लोक अभियोजन और महिला बाल विकास के अधिकारी समन्वय बनाकर न्यायालय में ऐसी पैरवी करें, ताकि पीड़ित को न्याय मिले। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डी. श्रीनिवास वर्मा ने कहा, बाल अपराध बहुत ही संवेदनशील होते हैं। इसलिए पूरी संजीदगी से विवेचना करना चाहिए। चार सत्रों में विषय विशेषज्ञों ने किशोर न्यायालय पॉक्सो अधिनियम की बारीकियां बताईं। कार्यशाला में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेमनारायण सिंह, उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार देवनारायण मिश्रा, एसएसपी अमित सांघी आदि मौजूद थे।